छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 1048/2007</u>

1. श्री जनकलाल साहू, वार्ड कमांक-6, आरंग, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* कार्यालय नगर पंचायत, आरंग, जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)	-	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 13 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री जनकलाल साहू द्वारा दिनांक 04.08.2007 को सूचना प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पंचायत, आरंग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उनके द्वारा समय पर जानकारी नही देने के कारण अपीलार्थी ने दिनांक 28.09.2007 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, किन्तु उक्त अपील का निराकरण नही होने के कारण इससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 30.10..2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में पूर्व में राशन कार्ड नही लगाने के कारण तथा बाद में राशन कार्ड बताकर 15 दिवस में नि:शुल्क जानकारी देने के निर्देश दिनांक 16.01.2008 को दिये गये थे तथा दिनांक 21.02.2008 को राशन कार्ड देने के बाद भी दिनांक 28.03.2008 तक जानकारी नही मिलने के कारण विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 03.05.2008 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में उन्होंने बताया कि भृत्य के माध्यम से तथा बाद में डाक से जानकारी भेजी गई थी, किन्तु अपीलार्थी ने लेने से इंकार करने के कारण जानकारी नही दी जा सकी, तत्पश्चात् जानकारी उसी दिन समक्ष में दिलवाई गई । चूंकि कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद है, अत: जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु फिर भी प्रथम बार जो जानकारी भेजी गई थी, वह दिनांक 18.10.2007 को भेजा जाना बताया गया है, जबकि आवेदन दिनांक 04.08.2007 को दिया गया था, अत: जानकारी देने में थोड़ा विलंब तो किया गया है,

इसके अतिरिक्त प्रथम अपील की सुनवाई भी नही की गई है, अतः संचालक, नगरीय प्रशासन को निर्देश दिये जाते हैं कि वे मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पंचायत, आरंग के विरूद्ध स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करे । साथ ही विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर पंचायत की ओर से राशि 100/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त